

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.4(ई)एसीपी/अलेसे-III/1994/4429

दिनांक :- 23-9-2019

शुद्धि-पत्र

विभागीय आदेश संख्या 137/2006-07 दिनांक 21.03.2007 (कनिष्ठ लेखाकारों को स्वीकृत 9 वर्षीय चयनित वेतनमान) में क्रम संख्या 9 पर अंकित श्री संजय कुमार पंचोली के सामने कॉलम संख्या-4 (कार्यग्रहण तिथि) में अंकित दिनांक “08.03.95” के स्थान पर “08.03.96” एवं कॉलम संख्या-5 (चयनित वेतनमान स्वीकृति दिनांक) में अंकित दिनांक “08.03.04” के स्थान पर “08.03.05” पढ़ा जावें। आदेश का शेष भाग यथावत है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:-प.4(ई)एसीपी/अलेसे-III/1994/4429

दिनांक :- 23-9-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-आसीन्द, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त संशोधन के परिणाम स्वरूप श्री संजय कुमार पंचोली, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार को पूर्व में किए गए अधिक भुगतान (यदि कोई हो तो) की वसूली किया जाना सुनिश्चित करावें।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
3. श्री संजय कुमार पंचोली, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड आसीन्द, भीलवाड़ा।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)